संख्या-216/2015/2286जेएल/22-3-15-800(112)/2014

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2015***

विषय- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ के बंदी अरबी अली पुत्र श्री जहीर अली, निवासी-155ए, सैयद बाबा मजार, मोहल्ला-मछरिया, थाना-नौबस्ता, जिला-कानपुर नगर को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ के बंदी अरबी अली पुत्र श्री जहीर अली, निवासी-155ए, सैयद बाबा मजार, मोहल्ला-मछरिया, थाना-नौबस्ता, जिला-कानपुर नगर को शासनादेश संख्या-67/2015/508जेएल/22-3-15-800(112)/2014, दिनांक 18-03-2015 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-216/2015/2286जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in